पुलिस सुधार की दिशा में सात कदम

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीशिएटिव

1. भूमिका

इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि पुलिस में व्यवस्थागत सुधार ज़रूरी हैं और ये टाले नहीं जा सकते। उच्चतम न्यायलय ने **22 सितंबर 2006** को प्रकाश सिंह मामले में सुनाए गए अपने फैसले में आदेश दिया था कि पुलिस सुधार होने चाहिएं। न्यायालय ने **11 जनवरी 2007** के अपने फैसले के संदर्भ में राज्यों तथा केन्द्र की आपत्तियों और सरोकारों को सुना और इन्हें ध्यान में रखते हुए बहुत दृढ़तापूर्वक कहा कि पुलिस सुधार की प्रक्रिया फौरन आरंभ की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का आदेश कानून होता है। इसके निर्देशों का पालन न करने का अर्थ है उसके आदेश की अवज्ञा करना और इसके लिए अदालत की अवमानना करने का भी आरोप लगाया जा सकता है। न्यायालय ने **9 अप्रैल 2007** को समयावधि के विस्तार/संशोधनों के निवेदनों पर विचार करने के लिए एक और तारीख (**30 अप्रैल 2007**) तय की। **23 अगस्त 2007** को न्यायालय ने राज्यों तथा केन्द्र सराकार के सभी पुनर्विचार याचिका में कोई गुण–दोष नहीं पाते हुऐ खारिज कर दिया। इसका अर्थ है कि केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करना ही होगा। न्यायालय ने **14 दिसम्बर, 2007** को 6 राज्यों के खिलाफ अवमानना संबंधी याचिका सुनी और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मार्च, 2008 तक अनुपालन संबंधी सूचना देने का आदेश दिया।

न्यायालय ने **13 मार्च, 2008** को अनुपालन की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करने के मुद्दे पर विचार किया। याचिकादाता ने तीन–सदस्यीय समिति के गठन का सुझाव दिया । न्यायालय ने इस मुद्दे पर आगे और निवेदन सुनने के लिए सुनवाई स्थगित की। **28 अप्रैल, 2008** को न्यायालय को निगरानी समिति के लिए कुछ लोगों के नाम दिए गए। न्यायालय ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित की कि आदेश जारी करने से पहले वह इस मुद्दे पर आगे और विचार करेगी। **16 मई, 2008** को न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस की अध्यक्षता में एक तीन–सदस्यीय निगरानी समिति के गठन का आदेश दिया। निगरानी समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होगा जिसे बढ़ाया जा सकता है तथा उसे छः महीने में अपना पहला प्रतिवेदन न्यायालय को प्रस्तुत करना होगा। समिति के अन्य दो सदस्य हैं : श्री कमल कुमार, आई.पी.एस. (अवकाश प्राप्त) तथा श्री धर्मेन्द शर्मा (गृह मंत्रालय)। निगरानी समिति को, आदेशों के क्रियान्वयन में कथित कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज़ शपथ–पत्रों तथा अनावश्यक आपत्तियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त समिति 2006 में जारी निर्णय के बाद पारित नए पुलिस अधिनियमों की भी जांच करेगी ताकि यह पता चले कि क्या ये अधिनियम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अक्षरशः अनुरूप हैं। आज की तारीख तक समिति ने बंद कमरे में दो बैठकें (जुलाई और अगस्त, 2008) तथा दो अन्य बैठकें (25 सितम्बर और 25 नवम्बर, 2008) की, जिसमें प्रकाश सिंह तथा सी.एच.आर.आई. दोनों शामिल हुए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहले चार राज्य हैं जिनका समिति द्वारा विश्लेषण किया जाना है। न्यायालय ने **16 दिसम्बर, 2008** के सुनवाई के दौरान इस आधार पर अवमानना आरोपों पर निर्णय देने से इनकार कर दिया कि उसे निगरानी समिति के रिपोर्ट का इंतजार है। अगली सुनवाई **फरवरी, 2009** में होगी।

2. घटनाक्रम : *प्रकाश सिंह तथा अन्य बनाम भारतीय संघ तथा अन्य*

दो भूतपूर्व पुलिस महानिदेशकों, प्रकाश सिंह तथा एन. के. सिंह ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की	1996
गृह मंत्रालय ने सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक पुलिस अधिनियम प्रारूप लेखन समिति (पी.ए .डी.सी.) का गठन किया	सितंबर 2005
उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्यों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 3 जनवरी 2007 तक का समय दिया	22 सितंबर 2006
पी.ए .डी.सी. ने गृह मंत्रालय को मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 सौंपा	31 अक्टूबर 2006
उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2006 के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सुनवाई की	11 जनवरी 2007
उच्चतम न्यायालय ने अपने 2, 3, 5 निर्देशों के अनुपालन के लिए अंतिम तिथि तय की	11 जनवरी को कार्यकारी आदेशों के ज़रिए तत्काल
शेष 1, 4, 6, 7 निर्देशों को लागू करने की तिथि को आगे बढ़ाया	31 मार्च 2007
अनुपालन संबंधी शपथपत्र दाखिल कराने की अंतिम तिथि	10 अप्रैल 2007

उच्चतम न्यायालय ने छः राज्यों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की	23 अगस्त 2007
उच्चतम न्यायालय में प्रकाश सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई की	14 दिसम्बर 2007
उच्चतम न्यायालय में सुनवाई तथा अनुपालन प्रतिवेदन की अगली तिथि निर्धारित की	13 मार्च 2008
उच्चतम न्यायालय ने निगरानी समिति गठित करने पर विचार किया	28 अप्रैल 2008
उच्चतम न्यायालय ने निगरानी समिति गठित करने के लिए आदेश जारी किया	16 मई 2008
उच्चतम न्यायालय ने निगरानी समिति का रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले अवमानना याचिका पर निर्णय देने से इनकार किया	16 दिसम्बर 2008

3. उच्चतम न्यायालय के निर्देश क्या हैं?

ये सात निर्देश सुधार की शुरुआत करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। उनमें विगत 25 वर्षों में भारत में पुलिस सुधारों पर गठित किए गए अनेक आयोगों तथा समितियों की सिफारिशें शामिल हैं। इन निर्देशों को जारी करते हुए न्यायालय ने पुलिस के राजनीतिकरण, उत्तरदायित्व तथा पर्यवेक्षण तंत्रों के अभाव और व्यवस्थागत खामियों, जिसके कारण आपराधिक जांच प्रक्रिया की गुणवत्ता खराब हुई है, की गंभीर समस्याओं को सामने रखा । इन सातों निर्देशों का उद्देश्य इन विशेष समस्याओं पर ध्यान देना है।

संक्षेप में सरकारों को निम्न निर्देश दिए गए:

1. एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए; जो (i) यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार पुलिस पर गलत दबाव न डाले; (ii) नीतिगत व्यापक दिशानिर्देश बनाए, और (iii) राज्य की पुलिस के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करे;

2. सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता–आधारित व पारदर्शी प्रक्रिया से हो और उसका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का हो;

3. सुनिश्चित किया जाए कि कार्यवाही संबंधी कर्त्तव्यों (ज़िला पुलिस के प्रभारी पुलिस अधीक्षक, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी स्टेशन हाउस ऑफिसर सहित) का निर्वहन करने वाले अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी न्यूनतम दो वर्ष का हो;

4. एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए जो उप–पुलिस अधीक्षक तथा उससे नीचे के पदों के पुलिस अधिकारियों के सभी स्थानांतरणों, तैनातियों, पदोन्नतियों तथा इन पुलिस अधिकारियों से संबंधित अन्य सेवा मामलों पर निर्णय ले और पुलिस उप–अधीक्षक के पद से बड़े अधिकारियों की तैनाती तथा स्थानांतरणों के बारे में सिफारिशें करे;

5. केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन तथा नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित किया जाए और इन प्रमुखों के लिए भी दो साल के न्यूनतम कार्यकाल का प्रावधान किया जाए;

6. पुलिस हिरासत में हुई मौतों, हिरासत में गंभीर चोट या बलात्कार सहित गंभीर दुर्व्यवहार के संबंध में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य तथा ज़िला स्तरों पर स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना की जाए; और

7. पुलिस के जांच तथा कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग किया जाए।

न्यायालय ने उपरोक्त निर्देशों की उस समय तक लागू रखने का आदेश दिया जब तक कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नए कानून अधिनियमित नहीं किए जाते हैं।

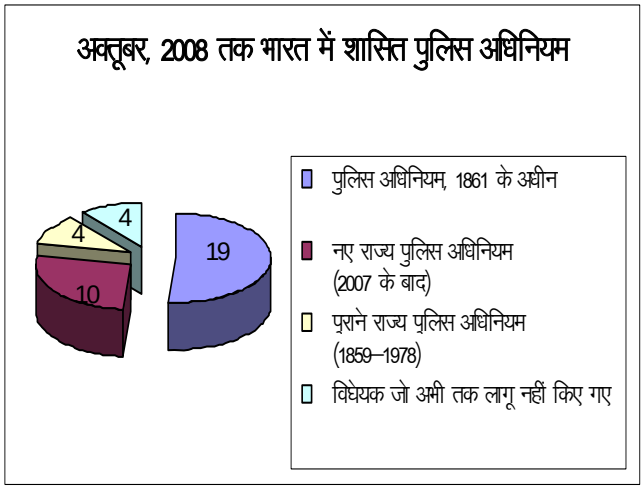

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद दस राज्यों ने नए पुलिस अधिनियम पारित किए हैं:– असाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

तमिलनाडु, गोवा और गुजरात में विधेयक तैयार किए गए हैं पर पारित नहीं हुए हैं।

तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और मुम्बई, 1859 से 1978 तक के पुराने पुलिस अधिनियमों द्वारा शासित हैं।

शेष 13 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र अभी भी 1861 के पुलिस अधिनियम से शासित हैं।

4. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने क्या किया?

11 जनवरी 2007 को राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में अपने द्वारा उठाए गए कदमों के विवरणों पर न्यायालय को अपने शपथपत्र सौंपे। 9 अप्रैल 2007 को राज्यों तथा केन्द्र ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन के मामले में उठाए गए नए कदमों के विवरणों के संबंध में नए शपथपत्र सौंपे। 11 मार्च 2008 तक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर सभी राज्यों/ क्षेत्रों की आदेश अनुपालन की स्थिति को निम्न ग्राफिक प्रस्तुति के जरिए दर्शाया गया है:

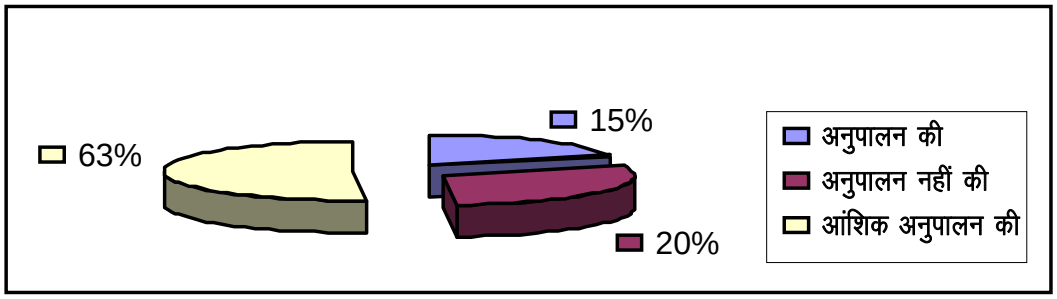

अनुपालन स्कोरकार्ड

श्रेणियों की परिभाषा

अनुपालन	सूचित किया कि सभी निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
आंशिक अनुपालन	एक या अधिक निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए और संभव है कि कुछ निर्देशों के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज कराई हों।
अनुपालन नहीं की	कुछ या सभी निर्देशों के विरुद्ध सख्त आपत्तियां दर्ज़ की और निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाने का संकेत नहीं दिया; या कहा है कि नये पुलिस कानून का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, इसलिए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए; या अनुपालन संबंधी ठोस कदमों का ब्यौरा दिए बगैर अनुपालन की समयावधि को बढ़ाने का निवेदन किया; या संघ राज्य क्षेत्र हैं जो अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर हैं

अनुपालन की	आंशिक अनुपालन की	आंशिक अनुपालन की	अनुपालन नहीं की
सिक्किम*	हिमाचल प्रदेश*	उड़ीसा*	प. बंगाल*
नागालैंड	दमण और दीव	चंडीगढ़	तमिलनाडु*
मेघालय	राजस्थान*	झारखंड*	आंध्र प्रदेश*
अरुणांचल प्रदेश*	पंजाब*	गुजरात*	दिल्ली
गोवा	लक्षद्वीप	केरला*	उत्तर प्रदेश*
	हरियाणा*	दादरा और नागर हवेली	जम्मू–कश्मीर*
	अंडमान और निकोबार	मणिपुर*	मध्य प्रदेश*
	बिहार*	मिज़ोरम	कर्नाटका*
	छत्तीसगढ़*	पुदुचेरी	
	असम*	त्रिपुरा*	
	महाराष्ट्र	उत्तराखंड*	

** जिन राज्यों के नाम के साथ तारे के चिन्ह हैं वे या तो पुलिस कानून तैयार कर रहे हैं या उन्होंने पुलिस कानून तैयार कर लिया है।*

5. राज्यों ने क्या कहा है?

अनेक राज्यों ने कहा है कि वे न्यायालय के निर्देशों के पीछे पुलिस सुधार की भावना का समर्थन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निर्देशों, विशेषकर उनके वर्तमान स्वरूप, के तुरंत कार्यान्वयन के विरुद्ध निम्न तर्क दिए हैं।

5.1. पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम है

राज्य सुरक्षा आयोग की जरूरत पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि पुलिस पर कोई अनुचित दबाव नहीं किया जाता है। (गुजरात, नागालैंड)

5.2. निर्वाचित सरकार की शक्ति को कम करता है

बाध्यकारी शक्तियों से संपन्न राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने से राज्य पुलिस पर संवैधानिक रूप से स्थापित सरकार की शक्ति के कम हो जाने की आंशका है। इसके कारण एक ऐसी समानांतर संस्था पैदा हो सकती है जो राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह न हो और सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण करे। (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश)

5.3. निर्दिष्ट कार्यकाल अधिकारियों के मनोबल को कम और सरकार के लचीलेपन को सीमित करेगा

पुलिस महानिदेशकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को न देखते हुए, उन्हें दो साल का निर्दिष्ट कार्यकाल प्रदान करने से अन्य योग्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बाधित होंगे और इससे उनका मनोबल कम होगा। इसके अलावा यह निर्देश प्रशासनिक तात्कालिकताओं को संबोधित करने के लिए पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण करने के राज्य सरकार के अधिकार को छीन लेता है। इसी तरह के तर्क पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप–महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए निर्दिष्ट कार्यकाल निश्चित करने के विरुद्ध दिए गए हैं। (आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, नागालैंड)

5.4. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) की संलग्नता न व्यावहारिक है और न ही आवश्यक

मौजूदा कानून के तहत, राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा तीन अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की संलग्नता न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक। (गुजरात, कर्नाटका)

5.5. अच्छे कार्य प्रदर्शन के लिए निर्दिष्ट कार्यकाल आवश्यक नहीं है

छोटा कार्यकाल अधिकारी की कार्य कुशलता को प्रभावित नहीं करता। (आंध्र प्रदेश)

5.6. पुलिस स्थापना बोर्ड को सौंपे गए काम करने के लिए पहले ही अन्य तंत्र मौजूद हैं

पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन सरकार के लोकतांत्रिक कामकाज के विरुद्ध जाएगा और एक अलग शक्ति केन्द्र का निर्माण करेगा जिसमें नौकरशाह होंगे जो कि लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे । साथ ही यह मौजूदा तंत्रों का ही एक और प्रतिरूप होगा। (गुजरात, उत्तर प्रदेश)

5.7. शिकायत प्राधिकरण मौजूदा प्रयासों को ही दोहराएंगे और एक वित्तीय बोझ होंगे

पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग और लोक आयुक्त पहले ही अस्तित्व में हैं। जिला और राज्य स्तर पर नए शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना करना मौजूदा व्यवस्थाओं के काम को दोहराना भर होगा और ये प्राधिकरण एक वित्तीय बोझ होंगे। (गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु)

5.8. शिकायत प्राधिकरणों की कोई ठोस ज़रूरत नहीं

उत्तर प्रदेश ने राज्य और ज़िला शिकायत प्राधिकरणों की ज़रूरत के विरुद्ध दलील दी। उसकी दलील पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की संख्या तथा उनमें से गलत या आधारहीन पाई जाने वाली शिकायतों की संख्या की तुलना पर आधारित थी। नागालैंड का कहना था कि पुलिस द्वारा ज़्यादतियां करने की घटनाएं बहुत कम होती हैं।

5.9. शिकायत प्राधिकरण पुलिस का मनोबल कम करेंगे

ज़िला और राज्य शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना के कारण पुलिस का मनोबल गिर सकता है, वह विभिन्न कानूनों को लागू करने में असमर्थ हो सकती है और एक और एजेंसी के द्वारा दंडित होने के भय के कारण निष्प्रभावी हो सकती है। (आंध्र प्रदेश)

आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश वे राज्य हैं जिन्होंने न्यायालय में पुनरीक्षा याचिकाएं दायर की हैं। निर्देशों के विरुद्ध उनकी आपत्तियां इतनी सख्त हैं कि उन्होंने न्यायालय से अपने समूचे निर्देशों की समीक्षा का निवेदन किया है। न्यायालय ने 23 अगस्त, 2007 को उनकी याचिकाएं इस आधार पर निरस्त कर दी कि उसमें उसने कोई गुण–दोष नहीं पाया।

निर्देशों को कागज़ से हकीकत में लाना

उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस में तत्काल सुधार लाने के फैसले पर अवश्य कार्यवाही होनी ज़रूरी हैं। किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के फैसलों को (जैसे पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति, पुलिस महानिरीक्षकों, उप–महानिरीक्षकों, अधीक्षकों और स्टेशन हाउस ऑफिसरों की पदमुक्ति, अन्य पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदोन्नतियों तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायतों) अब के बाद से इन सात निर्देशों की रोशनी में देखा जाना चाहिए।

पहले ही ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जब राज्य सरकारों ने अनुपालन की स्वयं अपनी ही अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया है। अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर, दोनों ही राज्यों में पुलिस महानिदेशकों को एक कार्यकारी आदेश के तहत दो वर्ष के कार्यकाल का आश्वासन देने के बावजूद इस अवधि से पहले ही उनके पदों से हटा दिया गया तथा उन्हें हटाने के लिए कोई आधार नहीं बताए गए जैसा कि विधि के अंतर्गत अपेक्षित है।

पुलिस महानिदेशक की चयन प्रक्रिया तथा उसके न्यूनतम कार्यकाल की घोषणा करते हुए मणिपुर सरकार के विशेष सचिव ने 28 दिसंबर 2006 को एक आदेश जारी किया। पुलिस महानिदेशक को न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करने के बारे में आदेश कहता है:

> ''2. मणिपुर के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि उन परिस्थितियों को छोड़ कर जहां अधिकारी दो वर्ष से कम की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहा है, पुलिस महानिदेश का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा। पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध अखिल भारतीय (अनुशासन और अपील) सेवा नियमों के तहत कार्यवाही किए जाने या किसी आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी अदालत द्वारा दोषसिद्ध किए जाने या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाने की स्थिति में राज्य सुरक्षा आयोग के साथ विचार–विमर्श से राज्य सरकार उसे उसके दायित्वों से मुक्त कर सकती है।''

एक एकपक्षीय कार्यवाही के ज़रिए मणिपुर सरकार ने पुलिस महानिदेशक, ए. के. पाराशर को हटा दिया। सरकार ने उन्हें हटाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया और न ही उन्हें हटाने के लिए कोई कानूनी आधार (अखिल भारतीय (अनुशासन और अपील) सेवा नियमों के तहत कार्रवाई, किसी आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी अदालत द्वारा दोषसिद्ध किये जाने या अन्यथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाना) बताया। जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है, वह स्वयं राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश का घोर उल्लंघन है।

वे राज्य जो पुलिस सुधार में अग्रणी हैं

कुछ राज्यों ने व्यापक पुलिस सुधार के प्रति प्रशंसनीय प्रतिबद्धता दर्शायी है।

मेघालय की राज्य सरकार ने प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से काफी पहले, 2005 में एक चार–सदस्यीय पुलिस सुधार समिति की स्थापना की। समिति को काफी व्यापक विचारार्थ विषय सौंपे गए और इसने उन समस्याओं की पड़ताल करने के लिए राज्य भर का दौरा किया जिन पर ध्यान दिए जाने की जरुरत थी। उन्होंने अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप देने से पहले जनता के साथ–साथ पुलिस से भी विचार–विमर्श किया। राज्य सरकार ने समिति की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया। इसके अलावा, मेघालय ने सभी निर्देशों के अनुपालन की अधिसूचनाएं जारी की हैं।

अरुणाचल प्रदेश ने पुलिस अधीक्षकों से उनकी पुलिस व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों के बारे में परामर्श किया है तथा एक नीतिगत पुलिस व्यवस्था योजना तैयार की है जिसमें विस्तृत कार्य–निष्पादन, लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य और उपलब्धि की समय–सीमा दी गई है।

हिमाचल प्रदेश ने एक पंचवर्षीय नीतिगत पुलिस व्यवस्था योजना (2007–11) जारी कि है। यह प्रसन्नता है कि पुलिस महानिदेशक ने योजना की भूमिका में यह कहा है कि इस योजना को विभिन्न तबकों के नागरिकों, समुदाय के सदस्यों, नेताओं, परामर्शदाताओं तथा पुलिस अधिकारियों से व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है।

एसी ही पंचवर्षीय नीतिगत पुलिस व्यवस्था योजना (2008–13) राजस्थान ने तैयार की है और पुलिस विभाग के वेबसाइट पर उसका प्रकटण करते हुए नागरिकों से परामर्श की मांग की है।

कुछ राज्यों में पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच करने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण पहले ही गठित कर लिए गए हैं। त्रिपुरा में पुलिस उत्तरदायित्व आयोग के गठन, इसके कृत्यों, शिकायत दर्ज़ करने की प्रक्रिया और इस आयोग के स्थित होने के स्थान के संबंध में सरकारी अधिसूचना 4 मई, 2008 के दैनिक संवाद समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई है जिसमें नागरिकों को यह सूचना दी गई है कि यह आयोग 2 जून, 2008 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

6. नया पुलिस कानून

इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि आज़ादी के बाद भी भारत के नागरिकों को सन् 1861 की पुलिस अधिनियम के तहत बनी पुलिस व्यवस्था के अधीनस्थ रखना बिल्कुल गलत है। यह कानून औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ठीक बाद बनाया गया था।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपने आठवें और 1981 के अंतिम रिपोर्ट में भारत के लिए एक नया पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया। गृह मंत्रालय ने भारत के लिए एक मॉडल पुलिस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए 2005 में एक पुलिस अधिनियम प्रारूप लेखन समिति (पी.ए .डी.सी.) का गठन किया। पी.ए .डी.सी. ने 31 अक्टूबर 2006 को अपना प्रारुप मंत्रालय को सौंप दिया। इस प्रारूप विधेयक को सभी राज्य सरकारों को भेजा गया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार संघ राज्य क्षेत्रों में नए पुलिस कानून को या तो संसद के 2007 के बजट सत्र में या अगले सत्र में पेश करेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और उच्चतम न्यायालय के फैसले और मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 केन्द्र सरकार को सुपुर्द करने के बाद दो वर्ष बीत जाने के वावजूद संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक नया पुलिस अधिनियम नही लागु हुआ हैं। ऐसी उम्मीद कि गई थी कि पी.ए .डी.सी. मॉडल पुलिस अधिनियम, राष्ट्रीय पुलिस आयोग मॉडल पुलिस अधिनियम, तथा उच्चतम न्यायालय के पुलिस सुधार संबंधी निर्देशों से मुख्य तत्वों को लेते हुए राज्य सरकारें स्वंय अपना पुलिस अधिनियम बनाएगी ।

निम्न चौबीस राज्यों (कुल 28 राज्यों में से) ने हाल ही में या तो नए पुलिस कानून पारित किए हैं या उन्होंने नए कानून का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरु की है। **इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, समुदाय और नागरिक समाज के साथ विचार–विमर्श का संपूर्ण अभाव गौरतलब है। अनेक राज्यों में लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनकी राज्य सरकार पुलिस कानूनों में सुधार करने की प्रक्रिया में है।** मुख्यतः समुदाय ही अच्छे पुलिस व्यवस्था से लाभान्वित और खराब पुलिस व्यवस्था से उत्पीड़ित होती हैं। अगर पुलिस को प्रभावी, कार्य–कुशल तथा जवाबदेह होना है, तो इस प्रक्रिया में समुदाय तथा नागरिक समाज की भागीदारी आवश्यक है।

राज्य	काम शुरु करने की तिथि
मध्य प्रदेश	प्रारूप तैयार किया जा रहा है
आंध्र प्रदेश	प्रारूप तैयार किया जा रहा है
अरुणाचल प्रदेश	प्रारूप तैयार किया जा रहा है
झारखंड	प्रारूप तैयार किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश	प्रारूप तैयार किया जा रहा है
पश्चिम बंगाल	मार्च 2007 में प्रारुप लेखन समिति गठित की

पुलिस सुधार की दिशा में सात कदम, 22/01/2009, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), www.humanrightsinitiative.org उपलब्ध सूचना के आधार पर लगातार संशोधित कार्यकारी दस्तावेज़।

जम्मू–कश्मीर	प्रारूप लेखन समिति गठित हो चुकी है
कर्नाटका	प्रारूप तैयार किया जा रहा है
सिक्किम	प्रारूप अपने अंतिम चरण में है
मणिपुर	पुलिस सुधार विधेयक तैयार किया जा रहा है
राज्य	**विधेयक**
तमिलनाडु	*तमिलनाडु पुलिस विधेयक 2008*, 14 मई 2008 को विधान सभा में रखा गया
गुजरात	20 जुलाई 2007 को *बाम्बे पुलिस (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2007* विधान सभा द्वारा पारित किया गया जिसे राज्य विधि आयोग को भेजा गया
गोवा	*गोवा पुलिस विधेयक* 27 अगस्त, 2008 को विधान सभा में रखा गया
उड़ीसा	*उड़ीसा पुलिस विधेयक* कार्याकारी समूह ने प्रारुप समिति को सौपा
राज्य	**हाल ही में नया कानून पारित किया**
बिहार	*बिहार पुलिस विधेयक* 28 मार्च, 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 30 मार्च, 2007 को अनुमति दी
त्रिपुरा	*त्रिपुरा पुलिस विधेयक* 29 मार्च 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 7 अप्रैल, 2007 को अनुमति दी
छत्तीसगढ़	*छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक* 20 जुलाई 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 27 जुलाई, 2007 को अनुमति दी
असम	*असम पुलिस विधेयक 08* अगस्त 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 30 अगस्त, 2007 को अनुमति दी
हरियाणा	*हरियाणा पुलिस विधेयक* 21 मार्च 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 3 अप्रैल, 2007 को अनुमति दी
हिमाचल प्रदेश	*हिमाचल प्रदेश पुलिस विधेयक* 28 अगस्त 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 21 सितम्बर, 2007 को अनुमति दी
केरला	*केरला पुलिस (संशोधन) विधेयक* 19 सितंबर 2007 को पारित किया गया
राजस्थान	*राजस्थान पुलिस विधेयक* 21 सितंबर 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 30 अक्टूबर, 2007 को अनुमति दी
पंजाब	*पंजाब पुलिस विधेयक* दिसम्बर 2007 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 24 जनवरी, 2008 को अनुमति दी
उत्तराखंड	*उत्तराखंड पुलिस विधेयक* 02 जनवरी 2008 को पारित किया गया तथा राज्यपाल ने 2 जनवरी, 2008 को अनुमति दी

निम्नलिखित राज्यों में नए विधेयक के प्रारूपण के बारे में कोई वर्तमान जानकारी उपलब्ध नहीं है: महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड।

यह एक सकारात्मक बात है कि राज्य सरकारें नये पुलिस कानून का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। पर साथ ही यह भी बहुत चिंता का विषय है कि इसमें समुदायों को शामिल नहीं किया गया और उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं है। राज्य सरकारों को अपने पुलिस कानूनों का प्रारूप फिर से तैयार करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहलों को व्यापक रूप से प्रचारित करना चाहिए। इस सूचना को प्रकाशित करने से जनता शिक्षित होगी तथा लोकतंत्र मज़बूत होगा।

राज्य सरकारें निम्न प्रकार की कार्यवाहियां कर सकती हैं:

- पुलिस अधिनियम प्रारूप लेखन समिति नागरिक समाज तथा समुदाय से सहयोग–सुझाव आमंत्रित करे;
- किसी मौजूदा समिति की सदस्यता को प्रकाशित करना;
- समुदाय जैसी पुलिस सेवा तथा पुलिस कानून चाहता है, उन पर जन ज्ञापन आमंत्रित करना;
- पुलिस के सभी स्तरों से ज्ञापन आमंत्रित करना कि वे किस तरह की पुलिस सेवा तथा पुलिस कानून का अंग बनना चाहते हैं;
- पुलिस के सभी स्तरों पर, विशेषकर उप पुलिस अधीक्षक और नीचे के अधिकारियों, उनका मत जानने के लिए फोकस समूह चर्चाएं आयोजित करना;
- पुलिस व्यवस्था में समुदाय की आवाज़ पैदा करने और उस आवाज़ को महत्व देने के लिए सार्वजनिक मंचों तथा बैठकों का आयोजन करना;
- सार्वजनिक मंचों के नतीजों को संकलित करना और उन्हें 'जनता की आवाज़' के रूप में प्रकाशन तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए प्रसारित–प्रचारित करना; और
- सुनिश्चित करना कि विधान सभाओं और संसद के सम्मुख जाने वाला प्रारूप कानून सार्वजनिक वृत्त में मौजूद हो और उसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के दंड 4(1)(ग) में सक्रिय प्रकटीकरण उपबंधों के अंतर्गत टिप्पणियों के लिए सुलभ कराया गया हो।

केरला सरकार द्वारा नागरिक विचार का आह्वान : प्रथम प्रयास पूरे देश में

केरला, भारत के ऐसे कुछ राज्यों में से एक है जिसके पास उच्चतम न्यायालय के फैसले के पूर्व ही अपना राज्य पुलिस कानून – *केरला पुलिस अधिनियम, 1960* है। केरला सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ दिन के भीतर ही फरवरी 2007 में अध्यादेश जारी कर दिया था। इसके बाद सितम्बर 2007 में *केरला पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2007*, पारित किया जो कि *केरला पुलिस अधिनियम, 1960* का पूरक था। इस संशोधित अधिनियम नें उच्चतम न्यायालय के कुछ ही दिशानिर्देशों का संबोधन किया है। इसके साथ ही साथ, सरकार 48 वर्ष *पुराने केरला पुलिस अधिनियम, 1960* को सुधारने का प्रयास कर रही है।

जून, 2008 में *केरल पुलिस अधिनियम, 2008* नामक मसौदे का प्रकटीकरण केरला पुलिस के वेबसाइट पर किया गया है। पुलिस महानिदेशक नागरिकों को, उन्हें या केरला पुलिस अधिनियम प्रारूपण समिति के किसी सदस्य को अपनी टिप्पणियां या सुझाव भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह पहली बार है कि किसी राज्य सरकार ने पुलिस कानून के संबंध में नागरिकों से परामर्श की मांग की हो। इस प्रकार की नागरिक परामर्श की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से ही नागरिक समाज के सदस्य यह सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे कि केरला का नया पुलिस कानून उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को पूरा करे और लोकतांत्रिक पुलिस सेवा को मजबूत बनाने में सहायता करे।

केरला पुलिस अधिनियम मसौदा इस वैबसाइट पर उपलब्ध है– **http://www.keralapolice.org/index8.html**